

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/2/2011

दिनांक : 09.01.2012

:- आदेश :-

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा उपलब्ध करवाये गये चयनित अभ्यर्थियों में से 570 चिकित्सा अधिकारी को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21.12.2011 के द्वारा नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित जिलों के जिला कलेक्टरों को अपनी उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था।

विभाग के उक्त नियुक्ति आदेश दिनांक 21.12.2011 की निरन्तरता में ही निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, राज. जयपुर के आदेश क्रमांक : संस्था/चि.अ./एटी/वि.भ./प.41/2012/02 दिनांक 03.01.2012 के द्वारा उक्त 570 चिकित्सा अधिकारियों का नियमानुसार पदस्थापन किया गया है।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
- 2) निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 3) निजी सचिव, माननीय चिकित्सा राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
- 4) उप सचिव एवं निजी सचिव, मा. मुख्य सचिव महोदय।
- 5) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 6) समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, राजस्थान
- 7) निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 8) रजिस्ट्रार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
- 9) समस्त प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
- 10) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन, संबंधित।
- 11) रजिस्ट्रार, राजस्थान मेडिकल काउंसिल, जयपुर।
- 12) समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
- 13) संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
- 14) प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईड एवं सभी संबंधित को ई-मेल तुरन्त करावें।
- 15) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

शासन उप सचिव